न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 83/2019

1 दिलीप सिंह पुत्र महालसिंह।
2 रामसिंह पुत्र महालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण चन्द्रसिंह पुरा तन भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कन्हैयालाल पुत्र पूसाराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिाल सीकर।
3 पटवारी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 नायब तहसीलदार लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 22/2018 अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट उनवानी कन्हैयालाल बनाम दिलीप सिंह
दिनांक 13.08.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 22/2018 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 22/2018 प्रस्तुत किया गया, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा यह अभिवचन किये गये कि खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 3.00 हैक्टेयर वाके ग्राम भीमा में अपने आने जाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 की उक्त भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने से शुरू होकर अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टेयर में से पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 6 मीटर चौडा व 90 मीटर लम्बा रास्ता आगे दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य ग्रेवल सड़क में मिलता हुआ रास्ता जिसको संलग्न नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, चाहता है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां एक ही पटवार हल्का में है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थी की भूमि में से बताये गये रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से पूर्णतया वंचित रह जायेगा। अत आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि का सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नही किया गया है। मौका रिपोर्ट अपीलांट को सुचित किये बिना, अपीलांट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के लिखित कथन/जवाब/मौखिक बहस का विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यवाही विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मौका रिपोर्ट एवं अपीलांट के जवाब आवेदन से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है मौके पर वैकल्पिक रास्ता नही होना अपीलांट भी मानते है। अपीलांट के जवाब में कथित रास्ता लम्बा है। लघुतम रास्ता ही स्वीकृत किया गया है। मौका रिपोर्ट पर अपीलांट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी द्वारा आवेदन में 6 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया था किन्तु 4 मीटर रास्ता ही स्वीकृत किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में विवादित भूमि का सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नही किया गया है। मौका रिपोर्ट अपीलांट को सुचित किये बिना, अपीलांट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के लिखित कथन/जवाब/मौखिक बहस का विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यवाही विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि का यह सर्व मान्य सिद्वान्त है कि मौका रिपोर्ट से पूर्व अप्रार्थी को सूचित किया जाना चाहिए विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को मौका रिपोर्ट की तिथि हेतु सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी नही है। अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया हो, यह भी मौका रिपोर्ट पर अंकित नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की मौजुदगी में पुन मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर